भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2011
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में रिक्तियां

2011. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री शफी परम्बिल :
श्री मुरारी लाल मीना :
श्री हैबी ईडन :
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :
श्री सुखदेव भगत :
श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) जिला/निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या और रिक्तियां राजस्थान सहित राज्य और जिला-वार कितनी हैं ;
(ख) विभिन्न अदालतों में विगत पांच वर्षों के दौरान भरे गए न्यायाधीशों के पदों का राज्य, जिला और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) उक्त अदालतों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इन पदों को समय पर भरने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या केंद्र सरकार ने देश में लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर रिक्तियों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश भर में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों और रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	आज की तारीख में स्वीकृत पद संख्या	आज की तारीख में रिक्तियां
1	उच्च न्यायालय	1,114	359
2.	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	25,609	5,238

इसके अतिरिक्त राजस्थान सहित उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की राज्य-वार स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों का विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2 में दिया गया है।**

(ख) से (ङ) : उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पिछले पांच वर्षों के दौरान भरे गए न्यायाधीशों के पदों को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**वर्ष**					
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (29.07.2027 तक)**

1	उच्चतम न्यायालय	10	--	09	03	14	03
2	उच्च न्यायालय	81	66	120	165	110	11

उच्च न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों के दौरान भरे गए न्यायाधीशों के रिक्त पदों का विवरण **उपाबंध-3** ***पर है***।

इसके अतिरिक्त, जिला एंव अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। कुछ राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया स्वयं करता है जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसा करता है। **माननीय** उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित न्यायिक आदेश के अधीन कुछ समय सीमा निर्धारित की है जिसका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए पालन करना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण **उपाबंध-4** ***में है***।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 तथा 28 अक्टूबर, 1998 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन की जाती है ।

एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। एमओपी के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकार के विचार भी प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार किए जाने वाले नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार को फिर सिफारिशें को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके नाम एससीसी द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या प्रोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण रिक्त होते रहते हैं।

सरकार देश में लंबित मामलों की स्थिति पर रिक्तियों के प्रभाव से अवगत है। तथापि, न्यायाधीशों की रिक्तियां एकमात्र कारण नहीं हैं, जो न्यायालयों में मामलों के निपटान को प्रभावित करती हैं। न्यायालयों में मामलों का निपटान कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, साक्षियों और मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटान में देरी करने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और बंच मामलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

****

उपाबंध- 1

'न्यायपालिका में रिक्तियां' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.07.2024 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्त पद संख्या		
		स्थाई	अपर	कुल	स्थाई	अपर	कुल	स्थाई	अपर	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	75	9	84	44	32	76
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	6	28	6	3	9
3	बंबई	71	23	94	56	10	66	15	१३	28
4	कलकत्ता	54	18	72	34	10	44	20	8	28
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	45	15	60	37	2	39	8	१३	21
7	गुवाहाटी	22	8	30	19	5	24	3	3	6
8	गुजरात	39	१३	52	29	0	29	10	१३	23
9	हिमाचल प्रदेश	१३	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	१३	4	17	12	3	15	1	1	2
11	झारखंड	20	5	25	18	0	18	2	5	7
12	कर्नाटक	47	15	62	43	7	50	4	8	12
१३	केरल	35	12	47	29	10	39	6	2	8
14	मध्य प्रदेश	40	१३	53	36	0	36	4	१३	17
15	मद्रास	56	19	75	50	१३	63	6	6	12
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	ओडिशा	24	9	33	20	0	20	4	9	१३
19	पटना	40	१३	53	34	0	34	6	१३	19
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	51	4	55	१३	17	30
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	3	28	7	7	14
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**666**	**89**	**755**	**174**	**185**	**359**

उपाबंध- 2

'न्यायपालिका में रिक्तियां' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.07.2024 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	618	544	74
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	33	11
3.	असम	485	460	25
4.	बिहार	2019	1536	483
5.	चंडीगढ़	30	30	0
6.	छत्तीसगढ	612	417	195
7.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
8.	दमण और दीव	4	4	0
9.	दिल्ली	887	806	81
10.	गोवा	50	40	10
11.	गुजरात	1720	1185	535
12.	हरियाणा	772	555	217
13.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
14.	जम्मू-कश्मीर	317	217	100
15.	झारखंड	703	500	203
16.	कर्नाटक	1375	1131	244
17.	केरल	608	542	66
18.	लद्दाख	17	9	8
19.	लक्षद्वीप	4	2	2
20.	मध्य प्रदेश	2028	1709	319
21.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
22.	मणिपुर	62	49	१३
23.	मेघालय	99	56	43
24.	मिजोरम	74	45	29
25.	नागालैंड	34	24	10
26.	ओडिशा	1015	848	167
27.	पुदुचेरी	29	10	19
28.	पंजाब	797	724	73
29.	राजस्थान	1641	1321	320
30.	सिक्किम	35	23	12
31.	तमिलनाडु	1364	1025	339
32.	तेलंगाना	560	445	115
33.	त्रिपुरा	133	109	24
34.	उत्तर प्रदेश	3698	2725	973
35.	उत्तराखंड	298	270	28
36.	अंदमान और निकोबार	1105	875	230
37.	पश्चिमी बंगाल			
कुल		**25609**	**20371**	**5238**

*** संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप तथा पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के समक्ष दर्शाया गया है**

उपाबंध-3

'न्यायपालिका में रिक्तियो' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के भाग (ख) से भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले 5 वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नई नियुक्तियाँ।							
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	इलाहाबाद	10	4	17	13	9	0
2	आंध्र प्रदेश	2	7	2	14	6	0
3	बंबई	11	4	6	19	9	0
4	कलकत्ता	6	1	8	16	0	0
5	छत्तीसगढ	0	0	3	3	2	1
6	दिल्ली	4	0	2	17	5	0
7	गुवाहाटी	4	0	6	2	5	0
8	गुजरात	3	7	7	0	8	1
9	हिमाचल प्रदेश	2	0	1	2	3	0
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	0	5	2	4	0	1
11	झारखंड	2	0	4	1	0	1
12	कर्नाटक	10	10	6	6	5	0
13	केरल	1	6	12	1	3	7
14	मध्य प्रदेश	2	0	8	6	14	0
15	मद्रास	1	10	5	4	१३	0
16	मणिपुर	0	1	0	0	2	0
17	मेघालय	1	0	0	0	1	0
18	ओडिशा	1	2	4	6	2	0
19	पटना	4	0	6	11	2	0
20	पंजाब और हरियाणा	10	1	6	21	4	0
21	राजस्थान	3	6	8	2	9	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तेलंगाना	3	1	7	17	3	0
24	त्रिपुरा	0	1	0	0	2	0
25	उत्तराखंड	1	0	0	0	3	0
	कुल	**81**	**66**	**120**	**165**	**110**	**11**

उपाबंध- 4

'न्यायपालिका में रिक्तियां' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के भाग (ख) से भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या एवं रिक्तियां													
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.12.2018 तक		31.12.2019 तक		31.12.2020 तक		31.12.2021 तक		31.12.2022 तक		31.12.2023 तक	
		स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद	स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद	स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद	स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद	स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद	स्वीकृत शक्ति	रिक्त पद
1	आंध्र प्रदेश	494	49	597	68	607	97	607	116	607	73	618	83
2	तेलंगाना	493	48	413	79	474	96	474	49	560	150	560	115
3	अरूणाचल प्रदेश	30	5	41	14	41	9	41	9	41	8	44	10
4	असम	430	47	441	29	466	54	467	३१	485	60	485	46
5	बिहार	1845	640	1925	776	1936	503	1954	560	2016	667	2016	1550
6	चंडीगढ़	30	0	30	1	30	4	30	0	30	0	30	1
7	छत्तीसगढ़	452	55	468	75	480	93	482	73	527	90	562	139
8	दादरा और नागर हवेली	3	0	3	0	3	1	3	1	3	1	3	1
9	दमण और दीव	4	0	4	1	4	0	4	0	4	0	4	0
10	दिल्ली	799	258	799	118	799	151	884	192	884	203	887	89
11	गोवा	50	8	50	7	50	10	50	10	50	10	50	10
12	गुजरात	1506	356	1521	336	1521	369	1523	400	1582	431	1720	545
13	हरियाणा	651	162	772	297	772	279	772	290	772	308	772	208
14	हिमाचल प्रदेश	159	10	175	22	175	14	175	15	179	16	179	21
15	जम्मू-कश्मीर	310	86	290	58	296	41	300	59	314	91	317	94
16	लद्दाख					16	8	17	8	17	8	17	7
17	झारखंड	676	216	677	216	675	131	675	152	694	186	693	181
18	कर्नाटक	3972	725	2703	534	1357	286	1363	276	1365	233	1375	225
19	केरल	496	63	536	79	538	68	569	81	595	122	605	91
20	लक्षद्वीप	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	1
21	मध्य प्रदेश	1872	511	2021	401	2021	411	2021	469	2021	372	2028	298
22	महाराष्ट्र	2011	167	2189	247	2190	250	2190	250	2190	250	2190	250
23	मणिपुर	55	15	55	16	54	18	59	17	59	17	59	10
24	मेघालय	97	58	97	48	97	48	97	48	99	48	99	42
25	मिजोरम	67	21	64	18	64	21	65	23	74	33	74	33
26	नागालैंड	33	7	33	8	33	7	34	10	34	10	34	10
27	ओडिशा	911	156	919	149	950	194	976	191	1001	234	1008	205
28	पुदुचेरी	26	7	26	15	26	15	26	15	28	17	29	19
29	पंजाब	674	144	675	96	692	99	692	85	797	208	797	212
30	राजस्थान	1337	229	1428	308	1489	197	1549	275	1587	331	1638	296
31	सिक्किम	23	4	25	6	25	5	28	8	30	9	35	12
32	तमिलनाडु	1143	238	1255	175	1298	249	1316	234	1340	272	1371	331
33	त्रिपुरा	115	40	120	24	120	23	122	25	128	20	128	20
34	उत्तर प्रदेश	3225	1188	3416	838	3634	1053	3634	1092	3647	1173	3696	1247
35	उत्तराखंड	293	59	294	66	297	42	299	28	299	30	298	27
36	पश्चिमी बंगाल	1013	75	1014	96	1014	96	1014	96	1014	96	1014	96
37	अंदमान और निकोबार दीव	11	0	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13
कुल		**25309**	**5647**	**25079**	**5208**	**24247**	**4929**	**24515**	**5175**	**25077**	**5764**	**25439**	**5428**